29.01.2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त पी0डी0साहू की ओर से प्रार्थना पत्र बी–11 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को अभी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या तथा विवेचना के दौरान बनायी गयी सी0डी0 (काम्पैक्ट डिस्क) की प्रति उपलब्ध नहीं हो पायी है अतः इन प्रपत्रों की प्रतियॉ उपलब्ध कराये जाने के बाद ही कोई अग्रिम कार्यवाही की जाये। अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि इन प्रपत्रों की प्रतियों की अनुपलब्धता के कारण अभियुक्त उन्मोचन प्रार्थना प्रस्तुत करने में असमर्थ है अतः जब तक उक्त प्रपत्रों की प्रतियॉ अभियुक्त को दिलवायी नहीं जाती है तब तक इस मामले की कार्यवाही को स्थगित रखा जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से आपत्ति बी–12 प्रस्तुत किया गया है और कहा गया है कि अभियुक्त को सभी अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ ,जिस पर अभियोजन पक्ष द्वारा विश्वास किया गया है, अभियुक्त को दिलवाया जा चुका है। विवेचना के दौरान तैयार की गयी सी0डी0 को आवाज का मिलान करने हेतु केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है। केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सी0डी0 वापस आने के बाद सी0डी0 की प्रतिलिपि तथा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या की प्रतिलिपि अभियुक्त को दे दी जायेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है कि जो प्रपत्र अभी अभियोजन पक्ष या न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है उनकी प्रतियॉ अभियुक्त को नहीं दिलवायी जा सकती।

मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान लोक अभियोजक के तर्कों को सुना । अभियुक्त की ओर से अपने कथन के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 249/1976 उ0प्र0 राज्य बनाम

लक्ष्मी ब्रम्हन तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रमोद कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य (दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–3221/2010) में पारित निर्णय व विधि व्यवस्था को उद्वरित किया गया है।

इस मामले में दिनांक 07.09.2018 को अपराध का संज्ञान लिया गया था और तब से इस मामले की कार्यवाही प्रारंभ हुई है। दिनांक 18.12.2018 को अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ दी जा चुकी हैं। चूॅकि विवेचना के दौरान तैयार की गयी सी0डी0 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है अतः सी0डी0 की प्रति अभियुक्त को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार सी0डी0 तथा उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोग की आख्या प्राप्त होने पर उसे भी अभियुक्त को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

जहॉ तक सी0डी0 तथा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के अभाव में कार्यवाही को रोकने का प्रश्न है मेरे विचार से इन दस्तावेजों के अभाव में इस मामले की कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता। यदि पत्रावली पर सी0डी0 उपलब्ध नहीं है तो इसे पत्रावली पर उपलब्ध न मानते हुए अन्य जो भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध हैं उसी पर विचार करते हुए उन्मोचन प्रार्थना पत्र पर सुनवायी की जायेगी या आरोप विरचित किया जायेगा। यदि सी0डी0 के अभाव में अभियुक्त को उन्मोचित किये जाने का आधार पाया जाता है तो उसे उन्मोचित भी किया जा सकता है। अभियुक्त द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि सी0डी0 तथा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या के आने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। धारा 242 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियोजन पक्ष तब तक कोई दस्तावेज या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है जब तक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की कार्यवाही चल रही है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण प्रारंभ होते ही अभियोजन पक्ष के लिये यह आवश्यक है कि वह सभी दस्तावेजों तथा साक्ष्यों को प्रस्तुत कर दे। यहॉ यह तथ्य पुनः उल्लेखनीय होगा कि सी0डी0 के सम्बन्ध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को अपनी आख्या में केवल आवाज का मिलान करके आख्या देना है। अधिकतर मामलो में अभियुक्त द्वारा रिकार्ड की गयी आवाज को अपना होने से मना करते हैं। स्पष्ट है कि सी0डी0 की अनुपलब्धता किसी भी प्रकार से अभियुक्त को उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से निवारित नहीं करती।

प्रार्थना पत्र बी–11 निरस्त होने योग्य है।

–आदेश–

प्रार्थना पत्र बी–11 निरस्त किया जाता है । पत्रावली दिनांक– 12.02.2019 को आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रस्तुत हो। यदि नियत तिथि तक अभियुक्त द्वारा कोई उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता तो नियत तिथि पर आरोप विरचित कर दिया जायेगा। आरोप विरचित किये जाने के पश्चात अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत कोई उन्मोचन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(एम0 पी0 चौधरी)
विशेष न्यायाधीश, एंटीकरप्शन
सी0बी0आई0 (सेण्ट्रल), लखनऊ।